2019 का विधेयक संख्यांक 93

[दि स्पेशल इकोनोमिक जोन (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2005 का 28

2. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (फ) में,-

(i) "स्थानीय प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात्, ", न्यास या कोई अस्तित्व, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "प्राधिकारी या कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकारी, कंपनी, न्यास या अस्तित्व" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

2019 का अध्यादेश सं. 12

3. (1) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (अधिनियम) निर्यातों के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, विकास और प्रबंध का उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम की धारा 2 का खंड (फ) ऐसे "व्यक्ति" पद को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत कोई व्यष्टि, चाहे वह भारत में या भारत के बाहर निवासी हो, हिंदू अविभक्त कटुम्ब, सहकारी-सोसाइटी, कंपनी, चाहे वह भारत में निगमित हो या भारत से बाहर, फर्म, सांपत्तिक समुत्थान या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय प्राधिकारी और ऐसे व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, सहकारी, संगम, निकाय, प्राधिकारी या कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा भी है । चूंकि उक्त परिभाषा में "न्यास या अस्तित्व" को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए, उन्हें विशेष आर्थिक जोन में कोई यूनिट स्थापित करने के लिए अनुज्ञा दिए जाने के लिए पात्र उद्यमी के रुप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के रुप में नहीं माना जा सकता ।

3. चूंकि न्यास या अस्तित्व वित्तीय सेक्टर में प्रचालन निकायों के बहुत ही सामान्य रुप हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (फ) का संशोधन करना आवश्यक हो गया था । विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019, जो विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, उक्त धारा के खंड (फ) के संशोधन का उपबंध करता है जिससे "व्यक्ति" की परिभाषा में "न्यास या अस्तित्व" पद को सम्मिलित किया जा सके ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अति-आवश्यक विधान बनाया जाना आवश्यक था, इसलिए, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 12) प्रख्यापित किया था ।

5. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 जून, 2019

पीयूष गोयल

उपाबंध

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 28) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(फ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई व्यष्टि, चाहे वह भारत में या भारत के बाहर निवासी हो, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, सहकारी सोसाइटी, कम्पनी चाहे वह भारत में निगमित हो या भारत से बाहर, फर्म साम्पत्तिक समुत्थान या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय प्राधिकारी और ऐसे व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, सहकारी सोसाइटी संगम, निकाय, प्राधिकारी या कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा भी है;

* * * * * *

MGIPMRND—616LS(CRC)—19-6-2019.